

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/ 3568  
तहसीलदार  
श्रीमाधोपुर

दिनांक 03/10/2025

दस्ता

विषय:- तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का रामपुरा  
(थोई)

विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता

मुकदमा नम्बर:- 136 / 2025, निर्णय दिनांक:-29.09.2025

### आदेश

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उक्तांकित प्रकरण में यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें तथा पालना रिपोर्ट अन्दर भियाद एक माह में आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय

मोहर से जारी किया गया।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



*3e*  
( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिल्ला हल्का रामपुरा (थोई)

किसम मुकदमा प्रमाणित प्रचलित रास्ता क्रमांक 131, 132 एन और एफ

मुकदमा नम्बर

136/2025

राजस्व हस्ताक्षर

हस्ताक्षर या कार्यालयी नमूने लक्ष्य हस्ताक्षर

नम्बर पंजीयन  
उपखण्ड  
इस हस्ताक्षर  
कार्यालय में जो  
है

29/09/25

29/09/25

राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 24 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक 'प्रदत्त दीनदयाल उपखण्ड अन्त्यादय सम्बल पखवाडा' का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबंधित संपादन कार्य करने वाले कुल 10 गतिविधियों/कार्यों में से क्रमांक 6 पर 'रास्ता का प्रस्ताव का निस्तारण' का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महादय राजस्व (ग्राम 5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 04(3) राज-5/रास/2024 जयपुर दिनांक 18.06.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों को पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों में कदीमी रूप से बले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे हैं) को राजस्व रिकार्ड में गै0 गु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिदाता तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लिये जाकर रिपोर्ट है जिसमें मौक पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2595/गु0/2025 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम रामपुरा (थोई) पटवार हल्का रामपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.8300 हेक्टर में से 0.4880 हेक्टर भूमि में से जा रहे प्रचलित रास्ता ग्राम रामपुरा की दायीं सोलेतान के रास्ते से ग्राम सुराणी की तरफ जाने वाले कच्चा प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर सुचारु रूप से संचालित है। उक्त प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 65 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मध्य दरतावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर कुछ खातेदारों के सहमति बतौर हस्ताक्षरित संबंधित खातेदारान में से फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का रामपुरा (थोई) संलग्न है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंका रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया है। विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय

3  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)



तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघु हरतदार जज

किसके उ. न. नं. ३५६८/२०२५  
सदर हुकम ज. हु. म.  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

प्रस्तावित प्रचलित शस्ते की गैर मुमकीन शरता के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एवं संलग्न नक्शा देस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिवे जाते है कि उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिगै नामान्तरकरण शस्ते के पृथक खसरा नम्बर अन्वित करते हुए शस्ते के रकबे की निरम गैर मुमकीन शरता दर्ज की जावे एवं केशों में उक्तानुसार तरमीम की जावे। गैर मुमकीन शस्ते की मुनि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा देस आदेश के माम रहेगे। उक्त प्रचलित शस्ते में अन्वित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अभीलीय/उपर/रिजिल/राजस्व मण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फेरल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

3568/2025  
03-10-25

3c  
( अनिल कुमार )  
उपरखसरा अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 29/09/25

3c  
( अनिल कुमार )  
उपरखसरा अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)